

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक एफ-19-12/2015/25-2.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 की धारा 3 (2) के तहत श्री प्रबोध मिंज, साई मंदिर रोड भगवानपुर अंबिकापुर को उनके पदग्रहण तिथि से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पद पर नियुक्त करता है।

नया रायपुर, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक एफ-19-05/2016/25-2.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के अध्याय दो कंडिका तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्न अशासकीय व्यक्तियों को उनके पद ग्रहण तिथि से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पद पर नियुक्त करता है :-

1. डॉ. सुखनंदन सोनकर, लाखे नगर रायपुर
2. श्री दिलीप दीवान, ग्राम गिरोला जिला कोण्डागांव
3. श्री मुनेश्वर केशर, कसेर भवन, ग्राम बरांगजीर, कुनकुरी जिला जशपुर
4. श्री प्रहलाद रजक, बेमेतरा
5. श्री बिशुन कश्यप, मु.पो.पेण्डी, जिला जांजगीर-चांपा
6. श्री ईश्वर पटेल, साजा जिला बेमेतरा

नया रायपुर, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक एफ-19-06/2016/25-2.—राज्य शासन एतद्वारा राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम-1995 अध्याय-2 की कंडिका-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्न अशासकीय व्यक्तियों को उनके पद ग्रहण तिथि से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के पद पर नियुक्त करता है :-

1. श्री विकास मरकाम, राधा स्वामी नगर ए-15 गोल चौक के पास रिंग रोड रायपुर.
2. श्री रामकिशुन सिंह, अंबिकापुर.

नया रायपुर, दिनांक 6 मई 2016

क्रमांक एफ-19-07/2016/25-2.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी के संविधान की धारा-7 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा-6 के अंतर्गत निम्नानुसार पदाधिकारियों को मनोनीत करता है :-

क्र. (1)	नाम एवं पता (2)	पद (3)
1.	मो. अकरम कुरैशी, लखौली चौक राजनांदगांव	अध्यक्ष
2.	श्रीमती नजमा अजीम खान, सारंगढ़ जिला राजनांदगांव	उपाध्यक्ष
3.	श्री अब्दुल हफीज, मौदहापारा सुभाष नगर, रायपुर	सदस्य
4.	श्री बदरुजमा अंसारी, चिरमिरी जिला कोरिया	सदस्य
5.	श्री अब्दुल वहीद खान, मु.पो. नरहरपुर आवासपारा जिला कांकेर	सदस्य
6.	डॉ. मेहरूद्दीन मिर्जा, एकता चौक कवर्धा जिला कबीरधाम	सदस्य
7.	श्री सफीक अहमद (फुग्गा भाई), मौदहापारा रायपुर	सदस्य


छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया, रायपुर, दिनांक 06 MAR 2018

क्रमांक एफ-19-06/2016/25-2 : : श्री विकास मरकाम, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 3 की उप-धारा 2 (क) के तहत उपाध्यक्ष पदनामित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(एम.एम.मिंज)


संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग

पू.क्रमांक एफ 19-06/2016/25-2,
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 06 MAR 2018

- 1- राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
- 2- सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
- 3- सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
- 4- रजिस्ट्रार जनरल, छ.ग.उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
- 5- महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
- 6- निज सचिव, माननीय मंत्री छ.ग.शासन, (समस्त),
- 7- उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर,
- 8- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
- 9- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नया रायपुर,
- 10- आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर,
- 11- शासन के समस्त विभागाध्यक्ष,
- 12- संभागायुक्त छत्तीसगढ़ शासन (समस्त),
- 13- समस्त कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक छ.ग.,
- 14- उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ,
- 15- जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर,
- 16- सचिव, छ.ग.राज्य, अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर,
- 17- संबंधित श्री विकास मरकाम, सदस्य छ.ग.राज्य, अनुसूचित जनजाति आयोग, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 18- आर्डर फाईल।


संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग